पशु आहार संयंत्र बंडोल,
जिला सिवनी

एक वर्ष की अवधि के लिये
पुराना बारदाना एवं पुरानी प्लास्टिक बोरियों की
विक्रय की ई-निविदा

(ई-निविदा तृतीय आमंत्रण)

दिनांक
13/09/2019

CATTLE FEED FACTORY BANDOL, SEONI (M.P.)

Phones : (07692) 237511,

E-mail : cff.bandole@gmail.com

UNIT OF JABALPUR SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT
NEW DAIRY PLANT, KARONDA NALA, IMALIYA, JABALPUR (M.P.)

पशु आहार संयंत्र बंडोल, जिला सिवनी (म.प्र.)
इकाईः जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर (म.प्र.)

—: निविदा प्रपत्र संबंधी जानकारी :—

एक वर्ष की अवधि के लिये पुराना बारदाना एवं पुरानी प्लास्टिक बोरियों की विक्रय की ई—निविदा (तृतीय आमंत्रण)

ऑनलाईन निविदा क्रय करने की अंतिम तिथि :— दिनांक 11.09.2019 समय 11:00 बजे तक

ऑनलाईन निविदा दरे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :— दिनांक 11.09.2019 समय 11:00 बजे तक

तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय :— दिनांक 12.09.2019 समय 12:00 बजे

वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय :— दिनांक 13.09.2019 समय 12:00 बजे

निविदा खोलने का स्थान **तकनीकी** :— पशु आहार संयंत्र बंडोल, जिला सिवनी
वित्तीय :— जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. जबलपुर

अमानत राशि :—

बारदानों की श्रेणी	**अमानत राशि (रूपये)**
खाली पुराना बारदाना जूट	रू. पचास हजार मात्र
HDPE के छोटे वारदाने	
HDPE के बैग स्क्रैप	

प्रभारी महाप्रबंधक
पशु आहार संयंत्र बंडोल

:: जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर (म.प्र.) ::
:: इकाई :: पशु आहार संयंत्र बंडोल, जिला सिवनी (म.प्र.) ::

निविदा प्रपत्र (भाव पत्र)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
जबलपुर (म0प्र0)।

विषय :— पुराने बारदाने क्रय करने हेतु भाव पत्र।

महोदय,

आपके पुराने बारदाने विक्रय सूचना पत्र क्रमांक....................दिनांक................में दर्शायी क्रमांक 1 से 20 तक की समस्त शर्तें हमने/मैंने ध्यान पूर्वक संतोष जनक ढंग से पढ़कर समझ ली है। हमें/मैं आपकी पुराना वारदाना विक्रय की समस्त नियम शर्तो को मान्य करते हुए निम्न दरों पर पुराना बारदाना क्रय करना चाहता हूं।

क्रमांक	पुराने बारदाना की श्रेणी	(दर प्रति सैंकड़ा समस्त कर सहित)
01	कच्चे माल के खाली पुराने बारदाने (जूट) प्रतिमाह 40 से 50 हजार नग उठाने हेतु	**दर ऑन–लाईन प्रस्तुत करें।**
02	एच.डी.पी.ई. के छोटे बारदाने (प्लास्टिक) प्रतिमाह 2 से 3 हजार नग उठाने हेतु	**दर ऑन–लाईन प्रस्तुत करें।**
03	एच.डी.पी.ई. प्लास्टिक बैग स्क्रैप (प्रतिकिलो) प्रतिमाह 100 से 200 किलोग्राम	**दर ऑन–लाईन प्रस्तुत करें।**

हस्ताक्षर निविदाकार

:: जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर (म.प्र.) ::
:: इकाई :: पशु आहार संयंत्र बंडोल, जिला सिवनी (म.प्र.) ::
:: पुराना बारदाना विक्रय निविदा की सामान्य शर्ते ::

1. पशु आहार में लगने वाले कच्चे माल का पुराना खाली जूट बारदाना, लगभग 40,000 प्रतिमाह तथा एच.डी.पी.ई. बैग का खाली छोटा बारदाना एवं एच.डी.पी.ई. स्क्रेप का विक्रय **''जहां है जैसा है''** की स्थिति के आधार पर किया जावेगा। निविदाकार अपनी क्रय दरें समस्त करों सहित प्रस्तुत करें।
2. यदि क्रेता चाहे तो भाव पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व कार्यालीन समय में बारदानों का अवलोकन कर सकते है।
3. ई–निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में राशि रू. 50,000/– (शब्दों में रू. पचास हजार मात्र) ऑन–लाईन बेबसाईट www.mptenders.gov.in में ही जमा की जानी है। अमानत राशि की ऑन–लाईन जमा की रसीद **Envelop-A** में अपलोड की जाना है। विभाग में जमा अमानत राशि में किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। अमानत राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित किया जा सकता है।
4. अमानत राशि के बिना ई–निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
5. ई–निविदा ऑन–लाईन शासन की बेबसाईट www.mptenders.gov.in में ही प्रस्तुत की जानी है। निविदाकर्ता व्दारा दर प्रस्ताव ऑनलाईन ही निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। भौतिक रूप से दर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर निविदा अमान्य मानी जावेगी।
6. ई–निविदा में प्रतिभूति राशि निम्नानुसार सफल निविदाकर्ता को पशु आहार संयंत्र व्दारा विक्रय दरों की स्वीकृत की सूचना दिये जाने की दिनांक से 10 दिवस की समय–सीमा में पशु आहार संयंत्र–बण्डोल के खाते में अनिवार्यतः जमा की जानी है। निर्धारित समय–सीमा में प्रतिभूति राशि जमा न किये जाने की स्थिति में अमानत राशि राजसात कर सफल निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

(i) पुराना खाली जूट बारदाना हेतु = Rs. 1,50,000=00

नोट :– उपरोक्त प्रतिभूति राशि में पुराना एच.डी.पी.ई. का छोटा बारदाना तथा एच.डी.पी.ई. बैग स्क्रैप की प्रतिभूति राशि शामिल।

(ii) पुराना एच.डी.पी.ई. का छोटा बारदाना + एच.डी.पी.ई. बैग स्क्रैप हेतु अथवा पृथक–पृथक सामग्री की पृथक–पृथक दर स्वीकृत होने की स्थिति में प्रत्येक सामग्री हेतु :– **Rs- 50,000=00**

7. पशु आहार संयंत्र–बण्डोल में जमा प्रतिभूति राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। अनुबंध समाप्त होने के 60 दिवस की समय–सीमा में उक्त प्रतिभूति राशि वापिस की जा सकेगी।
8. ई–निविदा के **Envelop-B** में निविदाकर्ता के व्दारा **G.S.T.** व **PAN** का प्रमाण–पत्र अपलोड करना आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में ई–निविदा निरस्ती योग्य मानी जावेगी।
9. पशु आहार संयंत्र व्दारा सफल निविदाकर्ता को दर स्वीकृति की सूचना दिये जाने की दिनांक से 07 दिवस की समय–सीमा में रू. 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुबंध निष्पादन किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित समयावधि में अनुबंध निष्पादन न किये जाने की स्थिति में अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा सफल निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
10. सफल निविदाकर्ता को पशु आहार संयंत्र व्दारा दी गई समय–सीमा में संयंत्र में उपलब्ध समस्त पुराना बारदाना/एच.डी.पी.ई. स्क्रैप, संबंधित सामग्री की विक्रय राशि अग्रिम जमा कर उठाना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय–सीमा में सामग्री नहीं उठाई जाती है तो इस हेतु पशु आहार संयंत्र व्दारा 02 पत्र दिये जावेगें तथा प्रेषित पत्रों में दी गई समय–सीमा में सामग्री नहीं उठाये जाने की स्थिति में प्रतिभूति राशि राजसात कर सफल निविदाकर्ता को जारी कार्यादेश निरस्त कर दिया जावेगा।

11. बारदाने उठाने सम्बन्धित केता को दिया गया आदेश को किसी भी समय लिखित सूचना देकर तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर को रहेगा।

12. ई–निविदा में विभिन्न सामग्री के विक्रय हेतु दरें एक वर्ष की अवधि हेतु आमंत्रित किये जा रहे हैं, जो कि कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 01 वर्ष हेतु प्रभावशील होगी तथा प्रबंध पक्ष व्दारा कार्य संतोष–जनक पाये जाने पर 06 माह की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

13. पुराने बारदाने के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

14. उक्त शर्तो में परिवर्तन करने अथवा शिथिल करने एवं मोल भाव करने का अधिकार प्रबंध के स्वविवेक पर निर्भर होगा।

15. समय–समय पर पशु आहार संयंत्र–बण्डोल व्दारा बारदाना/एच.डी.पी.ई. स्क्रैप आदि उठाने दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन करना सफल निविदाकार को अनिवार्य होगा तथा अनुबंध की किसी भी कंडिका/कंडिकाओं का उल्लंघन की स्थिति में पशु आहार संयंत्र व्दारा 02 पत्र दिये जायेंगे तथा सुधार न पाये जाने पर प्रतिभूति राशि राजसात कर कार्यादेश निरस्त कर दिया जावेगा।

16. ई–निविदा के निर्धारित **Envelop-C** में वर्णित समाग्रियों की दरें समस्त कर सहित प्रस्तुत की जाना है।

17. निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह समझा जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिये दी गई विभिन्न जानकारियों तथा अनुबंध की शर्तो का अध्ययन कर लिया गया है तथा वे इससे पूर्णतः सहमत हैं। निविदाकर्ता द्वारा यदि निविदा में अन्य कोई शर्ते लगाई जाती है तो उक्त शर्तें अमान्य मानी जावेगी।

18. निविदाकर्ता व्दारा प्रस्तुत निविदा बगैर कोई कारण बताये पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर सह. दुग्ध संघ मर्यादित को होगा।

19. समस्त अदालत की विवाद ''सिवनी'' न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

20. दोनों पक्षकारों के बीच हुए ठेके के संदर्भ में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के समक्ष रखा जावेगा, जिनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बंधनकारी तथा मान्य होगा। The arbitration proceedings shall be under and accordance with the provision of Arbitration and Conciliations Act 1996.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जबलपुर सह. दुग्ध संघ मर्या. जबलपुर